

विवरणिका

1. पंजीकृत पूर्व सैनिक एवं विधवायें :- (अक्टूबर 2024 तक पंजीकृत)

(क)	पूर्व सैनिक	1,40,098
(ख)	विधवायें (1,207 जीवित युद्ध विधवाओं सहित)	50,135
	कुल योग	1,90,233

2. पंजीकृत पूर्व सैनिक एवं विधवाओं का जिलेवार विवरण

क्र० स०	जिला	पूर्व सैनिक				विधवायें				कुल योग
		सेना	वायु सेना	नौ सेना	कुल योग	सेना	वायु सेना	नौ सेना	कुल योग	
1	अल्मोड़ा	9111	258	140	9509	4768	37	50	4855	14364
2	बागेश्वर	7700	79	52	7831	3839	20	19	3878	11709
3	चमोली	10965	76	38	11079	4948	11	10	4969	16048
4	चम्पावत	3647	33	27	3707	1362	6	7	1375	5082
5	देहरादून	26411	1665	1701	29777	5306	102	133	5541	35318
6	हरिद्वार	4950	164	436	5550	1024	12	31	1067	6617
7	लैन्सडौन	14473	383	221	15077	5509	43	35	5587	20664
8	पौड़ी	6544	98	100	6742	3235	17	29	3281	10023
9	नैनीताल	12969	374	408	13751	3792	106	87	3985	17736
10	पिथौरागढ़	17847	221	107	18175	8610	30	22	8662	26837
11	रुद्रप्रयाग	3544	20	19	3583	1722	2	2	1726	5309
12	टिहरी	5074	45	50	5169	2136	5	7	2148	7317
13	उधमसिंह नगर	8706	125	139	8970	2746	11	22	2779	11749
14	उत्तरकाशी	1154	7	17	1178	278	0	4	282	1460
कुल योग		133095	3548	3455	140098	49275	402	458	50135	190233

3. द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिक (नॉन पेन्शनर) एवं उनकी विधवायें :-

(क)	पूर्व सैनिक	02
(ख)	विधवायें	475
	कुल योग	477

6. वीरता एवं गैर वीरता पदक विजेता

क्र.सं.	पदक	संख्या
<u>स्वतन्त्रता पूर्व</u>		
1.	विक्टोरिया क्रॉस	03
2.	मिलिट्री क्रॉस	25
3.	इण्डियन ऑर्डर ऑफ़ मैरिट	53
4.	इण्डियन डिस्टिंग्विस्ड सर्विस मेडल	89
5.	मिलिट्री मेडल	44
6.	मैन्शन-इन-डिस्पैच	150
	कुल योग	364
<u>स्वतन्त्रता पश्चात</u>		
7.	परमवीर चक्र	01
8.	अशोक चक्र	06
9.	महावीर चक्र	14
10.	कीर्ति चक्र	34
11.	उत्तम युद्ध सेवा मेडल	04
12.	वीर चक्र	103
13.	शौर्य चक्र	188
14.	युद्ध सेवा मेडल	40
15.	सेना / नौसैना / वायु मैडल(वीरता)	896
16.	मैन्शन-इन-डिस्पैच	220
17.	सेना मेडल (गैर वीरता)	57
18.	परम विशिष्ट सेवा मेडल	50
19.	अति विशिष्ट सेवा मेडल	70
20.	विशिष्ट सेवा मेडल	152
	कुल योग	1335

राज्य सरकार द्वारा देय सुविधायें

1. **वीरता पुरस्कार** | उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य के वीरता पदक से अलंकृत सैनिकों को दी जाने वाली एक मुश्त तथा वार्षिकी में अभूतपूर्व वृद्धि कर दी गयी है। उत्तराखण्ड राज्य अब देश में सबसे अधिक अनुदान राशि देने वाले राज्यों में एक बन गया है। वीरता पदक पुरस्कार से अलंकृत सैनिकों को दी जाने वाली राशि का विवरण निम्नवत है :-

क्र० सं०	वीरता पदक	एकमुश्त	वार्षिकी
(क)	परमवीर चक्र	50,00,000	3,00,000
(ख)	अशोक चक्र	50,00,000	2,50,000
(ग)	महावीर चक्र	35,00,000	2,25,000
(घ)	कीर्ति चक्र	35,00,000	2,00,000
(च)	वीर चक्र	25,00,000	1,50,000
(छ)	शौर्य चक्र	25,00,000	1,00,000
(ज)	सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल	7,00,000	60,000
(झ)	उत्तम युद्ध सेवा मेडल	5,00,000	50,000
(ट)	युद्ध सेवा मेडल	4,00,000	40,000
(ठ)	सेना मैडल (गैलेंट्री)	15,00,000	50,000
(ड)	मैंशन-इन-डिस्पैच	10,00,000	25,000

2. **गैर वीरता पदक पुरस्कार** गैर वीरता पदक पुरस्कार से अलंकृत सैनिकों को दी जाने वाली राशि में वृद्धि की गई है जो निम्नवत है :-

क्र० सं०	वीरता पदक	एकमुश्त
(क)	परम विशिष्ट सेवा मेडल	2,00,000
(ख)	अति विशिष्ट सेवा मेडल	1,50,000
(ग)	सेना मेडल(गैर वीरता)	1,00,000
(घ)	विशिष्ट सेवा मेडल	75,000

3. **राज्य परिवहन की बसों में निशुल्क यात्रा**। चक्र श्रृंखला के पदक धारकों पूर्व सैनिक तथा सैनिक विधवाओं को राज्य परिवहन की बसों में निशुल्क यात्रा का प्रावधान।

4. द्वितीय विश्व युद्ध के नान-पेंशनर सैनिकों एवं सैनिक विधवाओं की पेंशन में वृद्धि. द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवाओं को जिन्हे किसी भी स्त्रोत से ₹ 8,000 /—पेंशन

5. उत्तराखण्ड शहीद कोष अनुदान. विभिन्न युद्धों व सीमान्त झडपों तथा आन्तरिक सुरक्षा में शहीद हुये सैनिकों व अर्द्ध सैनिक बलों की विधवाओं/आश्रितों को एकमुश्त ₹ 10,00,000 /— अनुदान अनुमन्य है।

6 आवासीय सहायता युद्ध में शहीद सैनिकों की विधवाओं और युद्ध अपंगता के कारण सेवामुक्त हुए सैनिकों को आवासीय सहायता अनुदान ₹ 2,00,000 /— दिया जा रहा है ।

7. गृह कर में छूट. उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न नगर निगमों/नगर पालिकाओं की सीमाओं में, स्वयं के मकान में निवास कर रहे हैं, सेवानिवृत्त हवलदार रैंक तक के पूर्व सैनिक एवं उनकी विधवाओं को गृहकर से मुक्त किया गया है ।

8. स्टाम्प ड्यूटी में छूट. सेवारत/पूर्व सैनिकों को ₹ 25 लाख तक की स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण पर 25 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी में छूट अनुमन्य कर दी गयी है।

9. इंजिनियरिंग एवं मेडिकल शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति। मुख्यमंत्री कारगिल शहीद परिवार सहायता कोष से इंजीनियरिंग हेतु ₹ 12,000 /— मेडिकल शिक्षा हेतु ₹ 15,000 /— तथा पीएचडी शिक्षा हेतु ₹ 10,000 /— प्रतिवर्ष।

10. उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत छात्र/छात्रायें हेतु पुरुस्कार। आई. आई.टी.,आईएमए, एनआईटी, एनडीए तथा राज्य सरकार द्वारा प्रतिष्ठित अन्य व्यवसायिक एवं तकनीकी संस्थानों के छात्र/छात्रायें जो प्रदेश के स्थाई निवासी हैं, प्रत्येक को राज्य सरकार द्वारा '50,000 /—का पुरुस्कार ।

11. उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत मेधावी छात्र/छात्राओं को विशेष आर्थिक सहायता। प्रदेश के मेधावी छात्रों को संध लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग एवं सैन्य संस्थाओं द्वारा आयोजित समूह 'क' एवं 'ख' की प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण 100 अभ्यार्थी को मुख्य परीक्षाओं/एस.एस.बी आदि द्वितीय चरण की परीक्षाओं की तैयारी हेतु कोचिंग आदि के लिए विशेष आर्थिक सहायता के रुप में ' 50,000 /— की धनराशि ।

12. शिक्षण संस्थानों में आरक्षण.

जी० बी० पंत विश्व विद्यालय	05 प्रतिशत ।
राजकीय आई०टी०आई०	08 प्रतिशत ।
राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज	02 प्रतिशत ।
राजकीय पालिटेक्निक	03 प्रतिशत ।
एम०बी०ए०	02 प्रतिशत ।
एम०सी०ए०	02 प्रतिशत ।
बी०एड०(प्रवेश परीक्षा में)	05 प्रतिशत सीट तथा 15 कृपांक अतिरिक्त ।
एल०एल०बी०(प्रवेश परीक्षा में)	05 कृपांक अतिरिक्त
डीएलएड	05 प्रतिशत ।

रोजगार

13. शहीद सैनिकों के परिवार के एक सदस्य को राज्याधीन समूह 'ग' अथवा 'घ' की सेवाओं में नियुक्ति। उत्तराखण्ड सरकार शहीद सैनिकों के परिवार के एक आश्रित को जिलाधिकारी कार्यालय में समूह 'ग' अथवा 'घ' में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति प्रदान की जा रही है।

14. राज्य सरकार की सेवाओं में समूह 'ग' में आरक्षण । पूर्व सैनिकों को राज्य सरकार की सेवाओं में समूह 'ग' की रिक्तियों में 5 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य है।

प्रशिक्षण

16. कम्प्यूटर प्रशिक्षण. पूर्व सैनिकों, सैनिक विधवाओं तथा उनके आश्रितों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।

17. भर्ती पूर्व प्रशिक्षण। जनपद देहरादून में गढ़वाल तथा कुमाऊँ मण्डल के पूर्व सैनिकों के पुत्रों को सेना/पुलिस बलों में भर्ती हेतु 8 सप्ताह का भर्ती पूर्व प्रशिक्षण वर्ष में पाँच बार चलाया जा रहा है। इस प्रशिक्षण के दौरान पूर्व सैनिकों के आश्रितों को रहने यूनीफार्म तथा भोजन की व्यवस्था निःशुल्क है।

सैनिक विश्राम गृह

19. वर्तमान में 36 सैनिक विश्राम गृह राज्य में संचालित है।

उत्तराखण्ड पुलिस एवं आर्मड फोर्सज सहायता संस्थान द्वारा देय सुविधायें

1. आर्थिक सहायता ।

(अ) युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को अनुग्रह अनुदान (अधिकारी के लिए ₹ 1.60 लाख एवं जे०सी०ओ०/अन्य रैंक के लिए ₹ 1.00 लाख)।

(ब) सेवामुक्त अपंग हुये सैनिकों को अनुग्रह अनुदान (अधिकारी ₹ 75 हजार, जे०सी०ओ० एवं अन्य रैंक ₹ 55 हजार)।

(स) युद्ध विधवा/स्थायी रूप से युद्ध अपंग सेवामुक्त सैनिक की पुत्री के विवाह हेतु ₹ 30,000/- की आर्थिक सहायता। (केवल हवलदार रैंक तक के लिए अनुमन्य है)।

(द) जीवन निर्वाह भत्ता एक मुश्त ₹ 11,000/- केवल हवलदार पद तक अनुमन्य है।

(य) विशेष चिकित्सा (कैंसर, हृदय, मस्तिष्क रोग एवं प्लास्टिक सर्जरी) हेतु सरकारी अस्पताल/सेना अस्पताल/एस०जी०पी०आई०/एम्स/ आर्मी/कमांड अस्पताल में कराये गये उपचार पर हुए व्यय की 75 प्रतिशत तक राशि की प्रतिपूर्ति।

2. वार्षिक शिक्षा अनुदान। उत्तराखण्ड आर्मड फोर्सज सहायता संस्थान द्वारा युद्ध विधवा/स्थायी रूप से युद्ध अपंग सेवामुक्त सैनिकों के आश्रितों को निम्न शिक्षा अनुदान अनुमन्य है :-

(अ) कक्षा 9 से स्नातकोत्तर तक ₹ 1000/-से ₹ 1800/-तक।

(ब) शोध कार्य हेतु ₹ 12000/-।

(स) उच्च शिक्षा के कोचिंग हेतु ₹ 2500/- ।

(द) आई०टी०आई० हेतु ₹ 1800/-।

(य) सर्टिफिकेट/डिप्लोमा कोर्स हेतु ₹ 2200/-।

(र) डिग्री पाठ्यक्रम हेतु ₹ 3200/-।

(ल) एम.बी.बी.एस.,बी.टेक, एम टेक आदि कोर्स हेतु ₹ 5200/-।

(व) एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के कम्प्यूटर कोर्स हेतु ₹ 12000/-।

केन्द्रीय सैनिक बोर्ड से मिलने वाली आर्थिक सहायता तथा सुविधायें

1. आर्थिक सहायता

क्र.सं.	मद	धनराशि	टिप्पणी
(क)	सभी वर्ग के नान-पेंशनर्स पूर्व सैनिकों हेतु पैन्थूरी ग्रांट (65 वर्ष की आयु से अधिक)	` 4000 / – प्रतिमाह	नॉन-पेंशनर एवं केवल हवलदार रैंक तक के पूर्व सैनिकों के लिये अनुमन्य
(ख)	मेडिकल ग्रांट (नान-ई0सी0एच0एस0 मेम्बर हेतु)	` 50000 / – अधिकतम	केवल हवलदार रैंक तक
(ग)	<u>विवाह हेतु अनुदान :-</u> पूर्व सैनिकों एवं सैनिकों की विधवाओं की दो पुत्रियों के विवाह तथा विधवाओं के पुनर्विवाह हेतु अनुदान।	` 50,000 / –	केवल हवलदार रैंक तक के पूर्व सैनिकों के लिये अनुमन्य
(घ)	<u>गृह निर्माण हेतु।</u> गृह निर्माण हेतु लिये गये ऋण पर अनुदान।	अधिकतम ₹1,00,000 / –	युद्ध में शहिद के आश्रित, युद्ध के दिव्यांग सैनिक तथा सैन्य सेवा के दौरान दिव्यांग।
(च)	<u>शिक्षा अनुदान</u> (अ) स्नातक कक्षा तक पुत्र एवं पुत्रियों हेतु।	` 1000 / – प्रतिमाह	केवल हवलदार रैंक तक के पूर्व सैनिकों के लिये अनुमन्य।
	(ब) विधवाओं हेतु स्नातकोत्तर कक्षा तक	` 1000 / – प्रतिमाह	
	(स) विधवा हेतु वोकेशनल प्रशिक्षण की प्रतिपूर्ति (केवल एक बार अनुमन्य)	` 50,000 / – (अधिकतम)	

क्र.सं.	मद	धनराशि (रूपये में)	टिप्पणी
(छ)	निराश्रित अनुदान (वार्षिकी):— (अ) सभी वर्गों के पूर्व सैनिकों की अनाथ बच्चों हेतु अनुदान (पुत्रियों को विवाह होने तक तथा पुत्रों को 21 वर्ष की उम्र तक) । (ब) पूर्व सैनिक के 100 प्रतिशत विकलांग बच्चों हेतु अनुदान ।	`3000 /— प्रतिमाह</p> <p>`3000 /— प्रतिमाह	सभी रैंक के पूर्व सैनिकों के लिये अनुमन्य ।
(ज)	प्रधान मंत्री छात्रवृत्ति योजना । इंजीनियरिंग, मेडिकल, डेन्टल, वेटेरिनरी, एम.बी.ए., एम.सी.ए. फार्मा, नर्सिंग, बी.एड., एम.एड., बी.पी.एड., एम.पी.एड., यू.जी. / पी.जी. फिजीयोथेरेपी व लॉ इत्यादि हेतु ।	` 2500 /— प्रतिमाह (लड़कों हेतु) ।</p> <p>` 3000 /— प्रतिमाह (लड़कियों हेतु) ।	अभ्यर्थी की अधिकतम अर्हता परीक्षा में 60 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण होना आवश्यक है ।
(ठ)	विशेष चिकित्सा सहायता । नॉन-पेंशनर अधिकारी एवं अन्य वर्ग हेतु (हृदय, रोज, ज्वाइन्ट रिप्लेसमेन्ट) हेतु एकमुश्त अनुदान ।	प्रथम वर्ष एकमुश्त ₹1,50,000 /— तथा आगामी वर्षों में अधिकारी वर्ग हेतु 75 तथा अन्य रैंक हेतु 90 प्रतिशत । अधिकतम	समस्त रैंक हेतु अनुमन्य ।

क्र.सं.	पद	धनराशि (रुपये में)	टिप्पणी
(ड)	मोबिलिटी इक्विमेन्ट सहायता। सेवा मुक्ति के बाद पचास प्रतिशत से अधिक (लोवर लिम्ब) की अपंगता के कारण चलने फिरने में असमर्थ पूर्व सैनिक को मोडिफाईट स्कूटर क्रय करने हेतु अनुदान	अधिकतम ₹1,00,000 /—	समस्त रैंक हेतु अनुमत्य।

अन्य सुविधायें

2. रेल यात्रा में छूट।

(क) परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र से अलंकृत सैनिकों व विधवाओं को द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित यान में मुफ्त रेल यात्रा। अब यह राजधानी व शताब्दी गाड़ियों में भी मान्य।

(ख) कारगिल व आई0पी0के0एफ0 के शहीद सैनिकों की विधवाओं को स्लीपर क्लास यान से यात्रा में 75 प्रतिशत छूट।

3. वायु यात्रा में छूट।

(क) परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, विक्टोरिया क्रॉस, जार्ज क्रॉस, डिस्टिंग्विस्ड सर्विस क्रॉस, मिलिट्री क्रॉस, डिस्टिंग्विस्ड फ्लाईंग क्रॉस व जार्ज मेडल से अलंकृत सैनिकों व विधवाओं को 75 प्रतिशत की छूट।

(ख) युद्ध अपंग सेवामुक्त अधिकारी व आश्रित सदस्य को 50 प्रतिशत की छूट।

(ग) स्वतंत्रता पूर्व की युद्ध विधवाओं को 50 प्रतिशत की छूट।

4. टेलीफोन सुविधा। पंजीकरण व स्थापना शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट। निम्नलिखित वीरता पदक से अलंकृत सैनिकों/ विधवाओं को साधारण किराये में पूरी छूट :-

(क) परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र।

(ख) युद्ध विधवायें।

(ग) युद्ध अपंग सैनिक ।

5. आ.आई.टी. में प्रवेश । संयुक्त प्रवेश परीक्षा के उपरान्त मुम्बई, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, रुड़की, बी.एच.यू., आई.टी. संस्थानों में प्रत्येक संस्थान में दो सीटें प्राथमिकता पर प्रवेश ।

6. एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. में प्रवेश । वर्तमान में 30 सीटें एम.बी.बी.एस. व 1—3 (स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आवंटीत सीटों के आधार पर) बी.डी.एस. में आश्रितों के लिये निम्नलिखित प्राथमिकता के आधार पर आरक्षित हैं:—

(क) युद्ध में शहीद ।

(ख) युद्ध अपंग एवं अपंगता के कारण सेवामुक्त ।

(ग) सेवाकाल के दौरान सैन्य सेवा के कारण मृत्यु होने वाले सैनिक के आश्रित ।

(घ) सेवाकाल के दौरान अपंगता के कारण सेवामुक्त सैनिक के आश्रित ।

(ङ) वीरता पदक प्राप्त सैनिक के आश्रित ।

उत्तराखण्ड सैनिक पुनर्वास संस्था द्वारा पूर्व सैनिकों, सैनिक विधवाओं एवं उनके आश्रितों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता/अनुदान

1. सामान्य छात्रवृत्ति।

क्र०सं०	शिक्षा	अंक प्रतिशत	बालक	बालिका
(क)	सामान्य शिक्षा			
	कक्षा 11 व 12 हेतु	पहाड़ी क्षेत्र	6000	8000
	स्नातक कक्षाओं हेतु	हेतु 50 तथा	8000	10000
	स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु	मैदानी क्षेत्र	10000	12000
	पी.एच.डी., एम०फिल० हेतु।	हेतु 60 प्रतिशत	25000	30000
(ख)	तकनीकी/व्यवसायिक शिक्षा सर्टिफिकेट कोर्स फिटर, वैल्डर, टर्नर, इलैक्ट्रीशियन/ इलैक्ट्रॉनिक, वायरमैन, मैकेनिक, कटाई एवं सिलाई, प्लम्बर, ड्राफ्टमैन, पेन्टर, सर्वेयर, मोल्डर, हैन्डीक्राफ्ट एवं आफिस ऑटोमेशन, स्टेनोग्राफी, हिन्दी ट्रान्सलेटर, डी.ई.ओ. एवं सैक्रेट्रियल कोर्सेज।	60	8000	10000
(ग)	डिप्लोमा कोर्सेज मार्डन आफिस मैनेजमेंट, इन्फार्मेशन टेक्नोलोजी, कम्प्यूटर नेटवर्किंग एवं कम्प्यूनीकेशन, पॉलीटेक्निक कोर्सेज, सैक्रेट्रियल कोर्सेज	65	10000	12000

(घ)	डिग्री कोर्सेज बीएड / बीपीएड / एमएड / एमपीएड बी.एस.सी. / एम.एस. सी. (कृषि / हार्टीकल्चर / होम साइन्स), फौरेस्ट्री, होस्पिटैलिटी इन्डस्ट्री, फारमेसी, नर्सिंग कोर्सेज, वैटनरी, बी.फार्मा / डी. फार्मा / एम. फार्मा, जर्नलिज्म, सी.ए., एल.एल.बी. / एल.एल.एम., बायोटेक्नोलोजी, फिजियोथैरेपी, फैशन डिजाइन टेक्नोलोजी, बी.एच.एम.(सी.टी.) / टूरिज्म / ट्रैवल, बी.बी.ए. / एम.बी.ए., बी.सी.ए. / एम.सी. ए., पी.जी.डी.एम.।	70	30000	30000
(ङ)	इंजीनियरिंग कोर्स हेतु।	70	50000	50000
(च)	मेडीकल कोर्स हेतु।	70	50000	50000

2. पूर्व सैनिकों के अनाथ तथा सैनिक विधवाओं के पात्रों हेतु छात्रवृत्ति। पूर्व सैनिकों के अनाथ पुत्र/पुत्रियों तथा पूर्व सैनिक विधवाओं के पुत्र/पुत्रियों को कक्षा 1 से कक्षा 12 तक निम्नलिखित छात्रवृत्ति अनुमन्य होगी बशर्ते कि उन्हें किसी अन्य संस्थानों से इस हेतु आर्थिक सहायता/छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं की जा रही हो:-

कक्षा 1 से कक्षा 8 तक	33	12000	15000
कक्षा 9 से स्नातकोत्तर तक	33	20000	25000

3. मेधावी विद्यार्थियों के लिए विशेष छात्रवृत्ति। पूर्व सैनिक एवं सैनिक विधवाओं के मेधावी आश्रित जो केवल सामान्य शिक्षा में अक्वल हो को निम्नवत छात्रवृत्ति अनुमन्य होगी जिससे इन छात्रों/छात्राओं का मनोबल बढे और अन्य छात्र/छात्राओं को भी प्रोत्साहन मिले :-

कक्षा	बालक	बालिका
कक्षा 10 में 80 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर कक्षा 11 व 12 के लिए (कक्षा 11 में भी 80 प्रतिशत अनिवार्य)	30000	50000
कक्षा 12 में 80 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर स्नातक कक्षाओं के लिए (स्नातक प्रथम व द्वितीय में भी 80 प्रतिशत अनिवार्य)	40000	60000
स्नातक में कुल 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु (स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में भी 70 प्रतिशत अनिवार्य)	50000	70000

4. **प्रोत्साहन अनुदान।** सैनिक स्कूल/मिलिट्री स्कूल एवं आरआईएमसी में अध्ययन/शिक्षण प्राप्त कर रहे पूर्व सैनिकों एवं सैनिक विधवाओं के पात्रों को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश करने पर कोचिंग व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु एक मुश्त ` 30,000/- का प्रोत्साहन अनुदान प्रदान किया जायेगा।

5 **कोचिंग व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु अनुदान।** एनडीए, आईएमए, ओटीए, एयर फोर्स अकादमी, नेवल अकादमी, सिविल सेवा, पीसीएस, एमबीबीएस, आईएचएम, आईआईटी, आईआईएम में चयन/संस्थान में प्रवेश करने पर पूर्व सैनिकों एवं सैनिक विधवाओं के आश्रितों को कोचिंग व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु एक मुश्त ` 50,000/- का अनुदान प्रदान किया जायेगा।

6. **युद्ध विकलांग पूर्व सैनिकों को प्रशिक्षण हेतु अनुदान।** राज्य के युद्ध विकलांग पूर्व सैनिकों को मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों से रोजगारपरक तथा कौशल विकास परक कोर्स करने हेतु कुल व्यय अथवा ` 20,000/- जो भी कम हो का अनुदान प्रदान किया जायेगा।

7. **पूर्व सैनिक आश्रितों के खेलों में चयन होने पर प्रोत्साहन अनुदान।** राज्य के पूर्व सैनिकों/सैनिक विधवाओं के बच्चों को खेलों के प्रति आकर्षित किये जाने हेतु प्रदेश, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर में चयन होने पर निम्नवत् प्रोत्साहन राशि अनुमन्य:-

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| (अ) प्रदेश स्तर पर | - ` एक लाख |
| (ब) राष्ट्रीय स्तर पर | - ` दो लाख |
| (स) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर | - ` चार लाख |

8. सेना, अर्द्धसैनिक बल, सीपीओज तथा राज्य पुलिस में चयन होने पर अनुदान। सैनिक कल्याण विभाग द्वारा संचालित भर्ती पूर्व प्रशिक्षण से प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त सेना, सीपीओज, अर्द्धसैनिक बल तथा राज्य पुलिस में चयन होने पर एक बार निम्नवत अनुदान अनुमन्य है :-

(क) पुत्रियों को एक मुश्त ₹ 50,000 / - ।

(ख) पुत्रों को एक मुश्त ₹ 30,000 / - ।

9. चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति। सेना द्वारा पूर्व सैनिकों हेतु "पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना" चलाये जाने के उपरान्त यह योजना केवल पेंशन अनुमन्य नहीं होने वाले पूर्व सैनिक/सैनिक विधवाओं पर निम्नवत लागू है :-

(अ) सामान्य चिकित्सा। - ₹ 10,000 / -

(ब) विशेष चिकित्सा। - कुल व्यय का अधिकतम 75 प्रतिशत या ₹ 1,00,000 / - जो भी कम हो आर्थिक सहायता दी जायेगी ।

10. पूर्व सैनिकों द्वारा पुनर्वास हेतु लिए गए ऋण में अनुदान। पूर्व सैनिक/अधिकारी द्वारा अपने पुनर्वास हेतु लिए गए ऋण पर निम्न अनुदान देय है :-

(अ) ₹ 5,00,000 / - तक के ऋण का 10 प्रतिशत अनुदान देय होगा ।

(ब) ₹ 5,00,000 / - से ऊपर तथा ₹ 10,00,000 / - लाख तक के ऋण पर पांच प्रतिशत अनुदान ।

11. पूर्व सैनिक की विधवाओं की पुत्रियों एवं पूर्व सैनिकों की अनाथ पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता । पूर्व सैनिकों की विधवाओं की पुत्रियों/पूर्व सैनिकों की अनाथ पुत्रियों (दो पुत्रियों तक) की शादी हेतु ₹ 1,00,000 / - की धनराशि का एकमुश्त अनुदान अनुमन्य है ।

12. पूर्व सैनिक विधवाओं के पुनर्विवाह हेतु अनुदान। पूर्व सैनिक की विधवाओं के पुनर्विवाह करने पर ₹ 1,00,000 / - की धनराशि पुनर्वास संस्था द्वारा आर्थिक सहायता के अन्तर्गत एकमुश्त प्रदान की जायेगी । यह धनराशि विधवा के नाम पर पांच वर्ष हेतु एफ0 डी0 के रूप में प्रदान की जाती है ।

13. पूर्व सैनिकों को व्हील चेयर की सहायता। अपंग पूर्व सैनिकों को उनके आवेदन के आधार पर व्हील चेयर संस्था कार्यालय द्वारा जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी के माध्यम से उपलब्ध करायी जाती है।

14. पूर्व सैनिकों की विधवाओं को सिलाई/बुनाई मशीन की सहायता। पूर्व सैनिक की विधवाओं को स्वरोजगार हेतु सिलाई मशीन क्रय करने के लिए ₹ 3,000/- एवं बुनाई मशीन क्रय करने के लिए ₹ 3,500/- का अनुदान अनुमन्य है।

15. दैवीय आपदा अनुदान । पूर्व सैनिकों एवं सैनिक विधवाओं को दैवी आपदा के 50 प्रतिशत से अधिक की क्षति पर, आंशिक प्रतिपूर्ति हेतु एकमुश्त ₹ 50,000/- की आर्थिक सहायता दी जाती है, बशर्ते उन्हें किसी अन्य श्रोतों से उक्त आपदा हेतु कोई आर्थिक सहायता प्राप्त न हुई हो।

16. अन्य सहायता। सैनिक पुनर्वास संस्था, उत्तराखण्ड द्वारा जो भी प्रदेश निवासी अपंग पूर्व सैनिक या उनकी पत्नियाँ, भारत सरकार के संरक्षण में पुनर्वास हेतु चलाये जाने वाली संस्थाओं में प्रशिक्षण, स्वास्थ्य लाभ या पूर्ण रूप से वही वास कर रहे हो को, भरण पोषण हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों को प्रतिवर्ष निम्नवत अनुदान प्रदान किया जाता है:-

(अ) पैराप्लेजिक रिहैविलिटेशन - ₹ 2,00,000/-प्रति पात्र केन्द्र, मोहालीं

(ब) पैराप्लेजिक रिहैविलिटेशन - ₹ 2,00,000/-प्रति पात्र केन्द्र, किरकी

17. जिला सैनिक कल्याण परिषद बैठक हेतु धनराशि। पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों की समस्याओं के समाधान हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में जिला सैनिक कल्याण परिषद की बैठकों के आयोजन हेतु ₹ 5,000 प्रति बैठक की धनराशि अनुमन्य है।

18. जे.सी.ओ. रैंक तक के नॉन पेंशनभोगी पूर्व सैनिकों/विधवाओं को आकस्मिकता अनुदान। 65 वर्ष से कम आयु के जे.सी.ओ. रैंक तक के नॉन पेंशनभोगी पूर्व सैनिकों/विधवाओं को देय प्रतिवर्ष ₹ 25,000/- का आकस्मिकता अनुदान ।

19. प्रदेश के पूर्ण रूप से दृष्टिहीन पूर्व सैनिकों को आर्थिक सहायता। राज्य के दृष्टिहीन पूर्व सैनिकों को प्रतिवर्ष ` 2,00,000 /— प्रति पात्र प्रति वर्ष का अनुदान।

20. राज्य के निवासी सेना के तीनों अंगों के जे.सी.ओ. रैंक तक के शहीद सैनिकों के आश्रितों को धनराशि ₹ 10 लाख का अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में। राज्य के विभिन्न युद्धों व सीमान्त झड़पों तथा आन्तरिक सुरक्षा में सशस्त्र सेनाओं के तीनों अंगों के जे.सी.ओ. तथा समकक्ष रैंक तक के शहीद सैनिकों के आश्रितों को सैनिक पुनर्वास संस्था द्वारा राज्य सरकार से देय अनुग्रह अनुदान के अतिरिक्त धनराशि ₹ 10 लाख का अनुदान।

21. पूर्व सैनिकों की मृत्यु पर अन्तिम संस्कार अनुदान। तीनों अंगों के जे.सी.ओ. तथा समकक्ष रैंक तक के पूर्व सैनिकों की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को अन्तिम संस्कार हेतु अनुदान ₹ 10,000 /— का अन्तिम संस्कार अनुदान।

22. विशेष बच्चों के लिए मासिक रखरखाव अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में। पूर्व सैनिक के 75 से 99 प्रतिशत तक के दिव्यांग आश्रितों को ₹ 25,000 /— प्रति वर्ष का अनुदान।

03. विधवाओं को स्व-रोजगार हेतु व्यापार उपकरण खरीदने हेतु अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में। पूर्व सैनिक विधवायें जो स्वरोजगार उद्यम लगाना चाह रहे हैं को सम्बन्धित उपकरण विक्रेता के माध्यम से ₹ 50,000 /— तक के उपकरण क्रय किये जाने हेतु अनुदान।

24. विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रशिक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में। पूर्व सैनिकों को राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा जारी नियुक्तियों की प्रतियोगिता परीक्षाओं जैसे यू.पी.एस.सी., पी.सी.एस., यूके. एस.एस.सी के लिये कोचिंग करने हेतु ₹ 20,000 /— का प्रोत्साहन अनुदान।

25. फिजिकल कैजुअल्टी Physical Casualty (Fatal) सैनिकों के आश्रितों को अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में। Physical Casualty (Fatal) होने वाले सैनिकों के आश्रितों को ₹ 1,00,000 /— का अनुदान।